भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3043

उत्तर देने की तारीख : 06.08.2026

एमएसएमई में महिला उद्यमियों के लिए ऋण अभिगम और सहायता

3043. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः
श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः
सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में पिछले दो वर्षों के दौरान पंजीकृत महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या कितनी है और उनके क्षेत्रवार संवितरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र में पुरुष उद्यमियों को दिए गए औपचारिक ऋण की तुलना में महिला उद्यमियों को दिए गए कुल औपचारिक ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में महिला उद्यमियों के लिए समान औपचारिक ऋण सुविधा, बिना गारंटी वाले ऋण, बाजार संबद्धता और सदस्यता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) महाराष्ट्र में विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एससी/एसटी/ओबीसी) समुदायों और अल्प विकसित क्षेत्रों की महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन प्रदान किए जाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : महाराष्ट्र राज्य में पिछले दो वर्षों के दौरान उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले पंजीकृत एमएसएमई की संख्या और उनके क्षेत्र-वार वितरण का ब्यौरा इस प्रकार है:

महाराष्ट्र में महिला उद्यमियों के स्वामित्व/नेतृत्व वाले पंजीकृत एमएसएमई की संख्या		
क्षेत्र	**2024-25**	**2025-26**
विनिर्माण	2,49,876	2,96,769
सेवाएं	3,44,121	2,95,732
व्यापार	4,29,703	2,43,000
कुल	**10,23,700**	**8,35,501**

(ख) : भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को सलाह दी गई है कि वे अपने निवल बैंक क्रेडिट (एनबीसी) का 5% महिला उद्यमियों को ऋण देने के लिए निर्धारित करें। देश में 31 मार्च, 2026 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को दिया गया कुल बकाया ऋण 38,35,353.58 करोड़ रुपए है, जिसमें से 5,84,530.25 करोड़ रुपए महाराष्ट्र राज्य में स्थापित एमएसएमई (महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसएमई सहित) के लिए है।

(ग) : सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में महिला उद्यमियों सहित, एमएसएमई के लिए औपचारिक क्रेडिट, बिना गारंटी वाले ऋण, बाज़ार लिंकेज और मेंटरशिप तक समान पहुंच को सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं:

(i) बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए कोई कोलैटरल सिक्योरिटी (गिरवी रखने वाली संपत्ति) न लें।

(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) पात्र नए और मौजूदा एमएसई को सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले 10 करोड़ रुपए तक के कोलेटरल फ्री ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है।

(iii) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए 35% तक की मार्जिन मनी सब्सिडी देता है।

(iv) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) पात्र सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपए तक कोलेटरल मुक्त संस्थागत ऋण उपलब्ध कराती है।

(घ) : सरकार ने अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) की महिला उद्यमियों और आकांक्षी, पहाड़ी, सीमावर्ती व अल्प-विकसित क्षेत्रों (महाराष्ट्र सहित) के उद्यमियों की सहायता के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। इनमें शामिल हैं:

(i) पीएमईजीपी के तहत, विशेष श्रेणी (जैसे एससी,एसटी,ओबीसी, महिलाएं, अल्पसंख्यक, पूर्व-सैनिक, बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों और आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती इलाकों के लाभार्थियों) के लिए ग्रामीण इलाकों में 35% और शहरी इलाकों में 25% की अधिक मार्जिन मनी सब्सिडी मिलती है।

(ii) महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यम क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीटीएमएसई) के तहत, के 90% गारंटी कवरेज के लिए और वार्षिक गारंटी फीस में 10% की छूट के लिए पात्र हैं।

(iii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति आदेश, 2012 के तहत, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी वार्षिक खरीद का कम से कम 3% महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से करें।

(iv) प्रापण और विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम के तहत, महिला उद्यमी घरेलू व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए स्थान के किराए (स्पेस रेंट) और अन्य स्वीकार्य शुल्कों की 100% प्रतिपूर्ति पाने की पात्र हैं।

(v) एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 27.06.2024 को 'यशस्विनी अभियान' शुरू किया। इसका उद्देश्य विभिन्न एमएसएमई स्कीम के तहत औपचारिकीकरण, क्रेडिट तक पहुंच, क्षमता निर्माण, मेंटरशिप और बाज़ार के अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करके महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

(vi) एमएसएमई मंत्रालय का राष्ट्रीय एससी-एसटी हब क्षमता निर्माण, बाज़ार से जुड़ाव और सार्वजनिक खरीद में एससी/एसटी उद्यमियों की संवर्धित भागीदारी को सुगम बनाता है।
